न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—117 / 2020 (2020 / 00208) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—बद्रीलाल पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शंकरलाल पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—जेसुराम पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—लादी पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—सरजु बेवा रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—लच्छु पिता गोकल गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — प्रार्थी अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद — विपक्षी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—11.02.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 46 में अकिंत आराजी संख्या 463 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 464 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 465 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 466 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 467 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 468 रकबा 0.21 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.51 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन एक मात्र विद्यमान सरकारी रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 383 से होकर विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 459 की पश्चिम दिशा पर 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण अपने खेतो में वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतो में फसल काश्त कर लाभ ले रहे है तथा इस रास्ते अपने में संज, बैल, गाड़ी, ट्रेक्टर आदि लेकर जाते है। उक्त कृषि आरायिजात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नही है। उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ता मौके पर खुला हुआ परन्तु विपक्षी संख्या 1 ने छड़िया डालकर बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागमन नही कर पा रहे है इसलिये उक्त रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज करवाना न्यायोचित हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 459 की पश्चिमी दिशा पर बारह फीट चौड़ाई में बिलानाम सरकारी गै.मु. [illegible] तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने [illegible] की डी.एल.सी. दर से राशि विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के [illegible] 09.2020 [illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी [illegible] की पालना में [illegible] संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में अकंन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण बिलानाम आ.स. 383 में

होकर कभी आते जाते नही थे न ही कभी इस रास्ते से फसल काश्त कर लाते थे। प्रार्थीगण न रास्ता बन्द नही किया जबकि प्रार्थीगण का आवागमन का रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 536/470, 557/389, 478/470, 532/441, 559/389, 558/389, 393 में होकर करीब 50 वर्ष से भी अधिक समय से चालु है एवं वर्तमान में भी उक्त रास्ता चालु है। आत्यंत्यिक आवश्यकता का रास्ता नही है। काउन्टर क्लेम के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 463, 464, 465, 466, 467, 468 मौके पर एक ही चक में है उक्त सभी आराजियात में आवागमन करने का प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जैसा की मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है और रास्ता वर्तमान में चालु होकर 20 फीट चौड़ाई में बना हुआ है। आराजी संख्या 536/470, 557/389, 478/470, 532/441, 559/389, 558/389, 393 में वर्तमान में रास्ता सुचारू रूप से चालु है जिससे होकर विपक्षी भी आता जाता था लेकिन उक्त रास्ते के बाद आगे विपक्षीगण की आराजी संख्या 463, 464, 465, 466, 467, 468 पश्चिमी पाली पर आने जाने में बाधा उत्पन्न कर उक्त रास्ते में अवरोध किया उसके बाद करीब 5–7 वर्ष पूर्व विपक्षी बिलानाम आ.स. 383 में होकर आवागमन कर रहा है प्रार्थीगण की भूमियों पर पश्चिमी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में रास्ते को राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज कराया जाना आवश्यक है विपक्षी डीएलसी दर जमा कराने को तैयार है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाकर विपक्षी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थीगणो के द्वारा चाहा गया रास्ता वर्तमान में मौके पर पहले था जो अभी बन्द हो जाने से रास्ता नही बना हुआ है। वर्तमान में रास्ता बंद है। मौके पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण को पुछताछ करने पर बताया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 459 मे से होकर पहले आते जाते थे जो अभी बन्द है इसके अलावा सरकारी रास्ता नही है वर्तमान में पास के ग्राम खेमाणा की चारागाह से होकर व इसी ग्राम के खसरा नम्बर पास के खसरे सरकारी एवं खातेदारी के है जिसमें होकर आना जाना कर रहे है जिसके खसरा नम्बर 536/470, 557/389 खातेदारी एवं आराजी संख्या 478/470, 532/441, 559/389, 393 बिलानाम से होकर भी आवागमन करते है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा नम्बर 459 मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जिससे 75 मीटर लम्बा व 4 मीटर चोड़ाई में 300 वर्गमीटर भूमि यानि 0.03 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आती है। मौके पर खातेदारी व बिलानाम के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 459 रकबा 1.08 है0 मे से 0.03 है0 भूमि की 67185 रूपये डीएलसी दर से 9327 रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 17864 रूपये मुआवजा राशि बनती है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन हेतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है और प्रार्थी वर्षो से प्रस्तावित रास्ते से ही आवागमन कर रहा है रास्ते में जितनी भूमि विपक्षी की आ रही है उतना रकबा प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में देने को तैयार है जो विपक्षी की आराजी संख्या 459 की उत्तरी मेड़ के सहारे सम्मिलित करने पर भूमि एक चक के रूप में होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी अधिवक्ता अपने जवाब व काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पश्चिम मेड़ पर रास्ता दिलाया जावे और अधिक रकबे की भूमि कीमत विपक्षी अदा करने को तैयार है। विपक्षी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमावे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो सरकारी रास्ते से विपक्षी की भूमि में होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जा रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता जो तहसीलदार रारयपुर द्वारा बताया बया है वो खातेदारी एवं बिलानाम आराजी में दर्शाया गया है जो न्यूनतम दुरी का नही होकर प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दुरी का है। प्रार्थीगण द्वारा जितना रकबा विपक्षी की आराजी संख्या 459 में रास्ते हेतु चाहा गया है उतना रकबा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में देने को तैयार है जिससे विपक्षी की खातेदारी भूमि सम्मिलित होकर भूमि एक चक के रूप में हो रही है। विपक्षी द्वारा काउन्टर क्लेम के बिन्दु संख्या 7 में अकिंत आरायिजात मे से रास्ता चाहा जाने पर ही प्रार्थीगण की भूमि में रास्ता दिया जाने का विचार किया जा सकता है किन्तु इस प्रकरण में विपक्षी द्वारा काउन्टर क्लेम में मात्र प्रार्थीगण की आराजी भूमि रास्ता चाहा गया है शेष आराजी में नही चाहा गया है। विपक्षी के द्वारा काउन्टर क्लेम मे प्रार्थीगण की आराजी के पश्चिम मेड़ के सहारे रास्ता चाहा गया है जो विपक्षी भी खातेदारी एवं बिलानाम भूमि में होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुँचेगा किन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नही है जिससे विपक्षी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सख्या 463, 464, 465, 466, 467, 468 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 459 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे होता हुआ उत्तरी पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर होता हुआ आराजी संख्या 464 में प्रवेश तक का कुल रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि को बिलानाम सरकार गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे तथा रास्ते की भूमि के बदले आराजी संख्या 464 मे से 0.0160 है0 , आ.स. 465 मे स 0.0120 , आ.स. 466 मे से 0.0120 है0 भूमि दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे कुल रकबा 0.04 है0 प्रार्थीगण खातेदर के बजाय विपक्षी के नाम दर्ज की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.02.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

11.02.20

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—117 / 2020 (2020 / 00208) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—बद्रीलाल पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शंकरलाल पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—जेसुराम पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—लादी पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—सरजु बेवा रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—लच्छु पिता गोकल गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सख्या 463, 464, 465, 466, 467, 468 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 459 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे होता हुआ उत्तरी पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर होता हुआ आराजी संख्या 464 में प्रवेश तक का कुल रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि को बिलानाम सरकार गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे तथा रास्ते की भूमि के बदले आराजी संख्या 464 मे से 0.0160 है0 , आ.स. 465 मे स 0.0120 , आ.स. 466 मे से 0.0120 है0 भूमि दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे कुल रकबा 0.04 है0 प्रार्थीगण खातेदर के बजाय विपक्षी के नाम दर्ज की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 11.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

11.02.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested